



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई.ई.टी.परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ 226021

2858-3331 पत्रांक: वित्त छा.क.नि./षष्ठम बैठक/07 08

दिनांक 12/08/08

सेवा में

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य

विषय: छात्र कल्याण निधि नियमावली के अन्तर्गत मृत्यु कम्पेन्शंसन का दावा प्रेषित करने हेतु आवश्यक प्रपत्रों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र कल्याण निधि 2003 संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्रा के माता/पिता की मृत्यु पर एवं छात्र/छात्रा की दुर्घटना में मृत्यु पर कम्पेन्शंसन दिये जाने का प्राविधान है। इसके लिये छात्र/छात्राओं, माता/पिता से संबंधित संस्था के निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप CKN-1 & CKN-2 के साथ आवश्यक प्रपत्रों की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखने में आया है कि कम्पेन्शंसन का दावा विश्वविद्यालय में निर्धारित समय से अर्थात् मृत्यु के 90 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं होते हैं तथा प्रेषित दावा प्रपत्र अपूर्ण होते हैं। इससे दावे के भुगतान में बिलम्ब होता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि कम्पेन्शंसन का दावा समय से अर्थात् मृत्यु के 90 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को प्राप्त करा दिया जाय। दावा प्रपत्र पेश करते समय संस्था के निदेशक/प्राचार्य द्वारा संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार ही प्रपत्रों का प्रेषण किया जाय तथा संलग्न चेक लिस्ट पर संस्था के निदेशक/प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाय कि सभी प्रपत्र पूर्ण हैं। चेक लिस्ट पर संबंधित छात्र/छात्रा, माता/पिता द्वारा भी हस्ताक्षर किया जायेगा। चेक लिस्ट के बिना प्रेषित दावा अपूर्ण माना जायेगा। इस संबंध में आवश्यक प्रपत्रों की छायाप्रति, जो कि संस्था के निदेशक/प्राचार्य द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित हो, की चेक लिस्ट इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः सभी प्रपत्र निर्धारित प्रारूप CKN-1 & CKN-2 के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय का कम्पेन्शंसन का दावा प्रेषित कराये। कृपया ध्यान रहे कि सभी प्रपत्र संस्था के निदेशक/प्राचार्य द्वारा ही प्रमाणित कर (सील सहित) विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाय तथा कम्पेन्शंसन का दावा मृत्यु से 90 दिन के अन्दर चेक लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - ②

भवदीय

(गोपाल खरे)

वित्त एवं लेखाधिकारी

(अ) छात्र/छात्रा के माता/पिता की मृत्यु पर कम्पेन्शेसन का दावा प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्रों की चेक लिस्ट:

संलग्नक की स्थिति (✓) करें।

1. प्रपत्र CKN-1 एवं CKN-2 ()
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ()
3. मृतक का आय प्रमाण पत्र (स्वरोजगार/नौकरी पेशा (प्राइवेट) की स्थिति में तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा सरकारी नौकरी की स्थिति में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी वेतन पर्ची) ()
4. मृतक की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (पढ़े लिखे होने की स्थिति में हाईस्कूल का प्रमाण पत्र तथा अनपढ़ होने की स्थिति में शपथ पत्र में दर्शित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिवार रजिस्टर की छाया प्रति) ()
5. पिता की मृत्यु की स्थिति में जीवित माता की आय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ()
6. संस्था में जमा शुल्क की रसीद (अद्यतन) ()
7. विश्वविद्यालय स्तर पर जमा शुल्क के MIS फार्म व चालान रसीद ()
8. छात्र/छात्रा की तरफ से शपथ पत्र (मूलरूप में, जिसमें यह अंकित हो कि उसके भाई बहन उ.प्र.प्रा.वि. से संबद्ध किसी संस्था में अध्ययनरत है या नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण दें) ()
9. FIR ()
10. पंचनामा रिपोर्ट ()
11. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ()
12. पुलिस की फाइनल रिपोर्ट ()

दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में।

छात्र/छात्रा का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :

संस्था के निदेशक/प्राचार्य के हस्ताक्षर

(सील सहित)

(ब) छात्र/छात्रा की दुर्घटना में मृत्यु पर कम्पेन्शेसन का दावा प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्रों की चेक लिस्ट:

संलग्नक की स्थिति (✓) करें।

1. प्रपत्र CKN-1 ()
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ()
3. संबंधित के पिता की आय का प्रमाण पत्र (स्वरोजगार/नौकरी पेशा (प्राइवेट) की स्थिति में तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा सरकारी नौकरी की स्थिति में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची) ()
4. संबंधित के माता की आय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ()
5. संस्था में जमा शुल्क की रसीद ()
6. विश्वविद्यालय स्तर पर जमा शुल्क के MIS फार्म व चालान रसीद ()
7. पिता/माता की तरफ से शपथ पत्र (मूलरूप में, जिसमें दुर्घटना का पूर्ण विवरण भी हो) ()
8. FIR ()
9. पंचनामा रिपोर्ट ()
10. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ()
11. पुलिस की फाइनल रिपोर्ट ()

माता/पिता का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक :

संस्था के निदेशक/प्राचार्य के हस्ताक्षर
(सील सहित)



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई.ई.टी.परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

फोन: 0522-2732190, फैक्स: 0522-2732944

पत्रांक: 05-593

उ.प्र.प्रा.वि./वित्त-मु./छा.क.नि./2010/सप्तम बैठक

दिनांक 01-04-2010

सेवा में

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध
समस्त संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य

विषय: छात्र कल्याण निधि नियमावली-2003 के नियमों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित छात्र कल्याण निधि नियमावली-2003 के नियम सं. 6(C), 13(1), 13(2), 13(3) एवं 13(6) में छात्र कल्याण निधि समिति की दिनांक 09.03.2010 को संपन्न 7वीं बैठक में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है:-

वर्तमान नियम

संशोधित नियम

6(c)

Provide financial assistance to student to continue his studies if father/earning parent dies before age of 60 years in or due to an accident or otherwise.

13(1)

A student, whose earning parent (s) dies at a age below 60 years may be given freeship excluding failures for remaining period of course and hereby tution fees and examination fees prevalent at that time will be paid by university.

13(2)(a)

A sum of Rs.1.00 Lakh will be paid to a student whose earning parent (s) dies in or due to an accident at a age below 60 years. Such student may also be given freeship as defined in rule 13 (1), if parent/ guardian are having Annual Income by all means less then Rs. 2.00 Lacs and also if living parent does not earn.

13(3)

A sum of Rs.0.50 Lakh will be paid to a student whose earning parent (s) dies otherwise than an accident below age of 60 years.

13 (6)

Compensation will not be paid to those students who have not completed the required formalities within study period.

6(c)

Provide financial assistance to student to continue his studies if father/earning parent dies in or due to an accident or otherwise.

13(1)

A student, whose earning parent (s) dies may be given freeship excluding failures for remaining period of course and hereby tution fees and examination fees prevalent at that time will be paid by university.

13(2)(a)

A sum of Rs.1.00 Lac will be paid to a student whose earning parent (s) dies in or due to an accident. Such student may also be given freeship as defined in rule 13 (1), if parent/guardian are having Annual Income by all means less then Rs. 2.00 Lacs and also if living parent does not earn.

13(3)

A sum of Rs.0.50 Lakh will be paid to a student whose earning parent (s) dies otherwise than an accident.

13 (6)

Compensation will be paid to those students whose parent(s) dies before the end of his/her last session of studies in university.

उपरोक्त संशोधित नियम दिनांक 09.03.2010 अथवा उसके पश्चात् होने वाली मृत्यु के प्रकरणों पर लागू होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार छात्र कल्याण निधि नियमावली-2003 के नियमों में किये गये संशोधन के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

भवदीय

(महावीर सिंह)

वित्त अधिकारी